न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 15/ 2024
GCMS संख्या : 2024/58

प्रार्थी/अपीलार्थी :– बनाम अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री हेमन्त सेठ पिता विजेन्द्र सेठ निवासी बाहुबली कोलोनी, बांसवाडा
2. श्री मनोज सेठ पिता विजेन्द्र सेठ निवासी बाहुबली कोलोनी, बांसवाडा
3. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि विजेन्द्र सेठ निवासी बाहुबली कोलोनी, बांसवाडा
4. श्रीमती राखी सेठ पत्नि हेमन्त सेठ निवासी बाहुबली कोलोनी, बांसवाडा

तहसीलदार तहसील बांसवाडा

उपस्थित

श्री हिरालाल जैन अधिवक्ता, अधिवक्ता अपीलांट श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 02-01–2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक बांसवाडा व पटवारी पटवार हल्का बांसवाडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बांसवाडा के खाता संख्या 577, खसरा नंबर 3707/ 133/ 1 रकबा 0.2265 हे. अपीलांट मनोज सेठ पिता विजेन्द्र सेठ के खाते में दर्ज रेकार्ड है। खाता संख्या 736, खसरा नंबर 133/2 रकबा 0.26 हे. अपीलांट श्रीमती राखी पत्नी हेमंत सेठ व श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी विजेन्द्र कुमार सेठ के खाते में दर्ज रेकार्ड है। खाता संख्या 1057, खसरा [illegible]/1 रकबा 0.4430 हे. अपीलांट हेमंत सेठ पिता विजेन्द्र सेठ के खाते में दर्ज है व खाता [illegible] खसरा नंबर 3706/134 रकबा 0.1942 हे. अपीलांट श्री अरविंद सेठ पिता विजेन्द्र सेठ के खाते में दर्ज रेकार्ड है। मौके पर उक्त भूमि पर भराव किया जाकर समतलीकरण, उपरोक्त खेतो में दर्ज सभी खेतो को एक चक किया जाकर बाउण्ड्री वाल का निर्माण किये जाने बाबत् रिपोर्ट प्राप्त होने पर चारो अपीलांट्स खातेदारो के विरुद्ध भूराजस्व अधिनियम की धारा 90 ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:02:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सहपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पृथक पृथक 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स खातेदारान के खेतो की सुरक्षा हेतु बनाई गई बाउन्ड्रीवाल को तुडवाने निर्णय दिनांक 24.06.2024 के विरुद्ध यह अपील पेश की है।

अपील के साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 धारा 151 सी.पी.सी बाबत् स्थगन आदेश पर अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन एवं अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस के आधार पर तहसीलदार तहसील बांसवाडा के प्रकरण 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 उनवान सरकार बनाम हेमंत सेठ व अन्य, अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 90 ए सपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में निर्णय दिनांक 24.06.2024 पर आगामी पेशी दिनांक तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर यथास्थिति बनाये रखने आदेशित किया गया। आगामी पेशी दिनांक में भी अस्थायी निषेधाज्ञा आगे की पेशी दिनांक तक यथावत रखी गई।

दिनांक 20.12.2024 को उभय पक्षकारान की ओर से मूल अपील पर प्रस्तुत बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक बांसवाडा व पटवारी पटवार हल्का बांसवाडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बांसवाडा के खाता संख्या 577, खसरा नंबर 3707/ 133/ 1 रकबा 0.2265 हे. अपीलांट मनोज सेठ पिता विजेन्द्र सेठ के खाते में दर्ज रेकार्ड है। खाता संख्या 736, खसरा नंबर 133/2 रकबा 0.26 हे. अपीलांट श्रीमती राखी पत्नी हेमंत सेठ व श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी विजेन्द्र कुमार सेठ के खाते में दर्ज रेकार्ड है। खाता संख्या 1057, खसरा नंबर 134/1 रकबा 0.4430 हे. अपीलांट हेमंत सेठ पिता विजेन्द्र सेठ के खाते में दर्ज है व खाता सं. 51, खसरा नंबर 3706/134 रकबा 0.1942 हे. अपीलांट श्री अरविंद सेठ पिता विजेन्द्र सेठ के खाते में दर्ज रेकार्ड है। मौके पर उक्त भूमि पर भराव किया जाकर [illegible] खेतो में दर्ज सभी खेतो को एक चक किया जाकर बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर चारो अपीलांट्स खातेदारो के विरुद्ध भूराजस्व अधिनियम [illegible] 90 ए सहपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पृथक पृथक 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स खातेदारान के खेतो की सुरक्षा हेतु बनाई गई बाउन्ड्रीवाल को तुडवाने निर्णय दिनांक 24.06.2024 के विरुद्ध यह अपील पेश की है। अपीलांट्स द्वारा डायलाब तलाब पर भराव नही किया गया है। अपने खाते की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:02:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

समतलीकरण कर किया जाकर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाडा के पत्रांक 338–11 दिनांक 06.02.2001 अनुसार उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्री अब्दुल रउफ, अब्दुल वहिद वगैरह पुत्र श्री अब्दुल रसीद निवासी कंधारवाडी बांसवाडा एवं बापुलाल, नरेन्द्र कुमार पुत्र जीतमल जैन निवासी पाला मस्जिद के पास बांसवाडा के पक्ष में डायलाब तालाब से लगती हुई कृषि भूमि का समतलीकरण कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई है। अपीलांट्स खातेदार ने अपने खाते की भूमि में फलदार वृक्ष लगाने व उसमें अन्य प्रकार के वृक्षो को लगाने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा उनकी लोगो या जानवरो से क्षतिकारित नही करने उस उद्देश्य से अस्थायी रुप से सुरक्षा करने हेतु बाउण्ड्री बनवाई गई है तथा उनके द्वारा कराया गया बाउण्ड्री का निर्माण धारा 5(19)(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में बताये अनुसार कृषि भूमि में निवास गृह, पशु गृह बनाने, स्टोर हाउस बनाने या कृषि उद्देश्यो से व कार्यो हेतु निर्माण कराया गया है। इस प्रकार से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 90 ए सपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का उल्लंघन नही किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलगत आदेश तहसीलदार साहब बांसवाडा के प्रकरण सं. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 में निर्णय दिनांक 24.06.2024 को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत बहस में कथन किया कि श्री शरद पण्ड्या द्वारा दिनांक 01.03.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हेमन्त सेठ व अन्य के विरुद्ध डायलाब झील में भराव भरकर निर्माण कार्य की शिकायत पर भू अभिलेख निरीक्षक बांसवाडा एवं पटवारी हल्का बांसवाडा से जांच करवाने पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर भराव किया जाकर समतलीकरण, उपरोक्त खेतो में दर्ज सभी खेतो को एक चक किया जाकर बाउण्ड्री वाल का निर्माण पाया गया। जिस पर अपीलांट्स के विरुद्ध नियमानुसार भूराजस्व अधिनियम की धारा 90 ए सहपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पृथक पृथक 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 प्रकरण दर्ज कर [illegible] को युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर दिये गए है। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा [illegible] एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत स्पष्ट उल्लंघन [illegible] पर प्रकरणो में उक्त बाउन्ड्रीवाल को ध्वस्त किये जाने निर्णय दिनांक 24.06.2024 को [illegible] किया गया है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:02:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बांसवाडा द्वारा अपीलांट्स द्वारा बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति के अभाव में निर्माण की गई बाउण्ड्री वाल को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 90 ए एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन मानते हुए निर्माण की गई बाउण्ड्री वाल को ध्वस्त करने आदेश पारित किये है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की (सुधार की परिभाषा अन्तर्गत) धारा 5 (19) (क) अनुसार "आसामी द्वारा अपने स्वयं के अधिवास के लिए भूमि–क्षैत्र में बनाया गया रहने का मकान या उसके द्वारा अपने भूमि–क्षैत्र में बनाया या स्थापित किया गया पशुओं का बाडा, भण्डार–गृह या **कृषि सम्बन्धित प्रयोजनो के लिये कोई अन्य निर्माण**" प्रावधानित करते हुए सुधार अन्तर्गत माना है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगणो द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया है, इसमें अपीलार्थीगण का कोई दुराशय भी प्रथम दृष्टया दर्शित नही होता है।

परिणाम स्वरुप योग्य विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील बांसवाडा के प्रकरण सं. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 आक्षेपित निर्णय दिनांक 24–06–2024 को अपास्त किया जाता है। इसी अनुरुप अपीलार्थीगण की ओर से उक्त आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध यह अपील स्वीकार की जाती है। इस निर्णय की एक प्रति के साथ योग्य विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील बांसवाडा का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02–01–2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:02:00 IST
Reason: SelfAttested